प्रकरण संख्या–35 / 2020 GCMS ID-2020/00125 तारीख रजु–05.11.2020

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राधे पुत्र लौहरे उम्र 42 साल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरसायं तहसील व जिला करौली राज. – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार करौली जिला करौली – प्रत्यर्थी

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.08.2020 अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट मुकदमा नंबर 59 / 2020 वउनवानी सरकार बनाम राधे न्यायालय नायब तहसीलदार करौली

निर्णय

दिनांक 31.03.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं. 168 / 1 रकबा 56 बीघा किस्म चारागाह बाके ग्राम गोपालपुरसाय पटवार हल्का गुनेसरा तहसील करौली में अपीलार्थी द्वारा 0–05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया लेकिन अपीलार्थी न तो उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब पेश किया। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कारण आदेश दिनांक 26.08.2020 पारित किया गया था जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 26.08.2020 रूऐदाद मिसिल व विधि विरुद्ध है जो चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट की उपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को विधिक रूप से कोई तामील नहीं करायी गयी है। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में हल्का पटवारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की है जबकि कानून का यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि मौके पर हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की उपस्थिति में ही तैयार करनी चाहिये और गांव के दो स्वतंत्र व्यक्तियों के मौके पर हस्ताक्षर कराये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी अपीलाण्ट ने खसरा नं. 168 / 1 रकबा 0–05 बीघा पर कभी भी कब्जा नहीं किया है ना ही अपीलाण्ट अतिक्रमी है ना पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलाण्ट का उक्त चारागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। गांव में आपस में पार्टीबाजी चल रही है इसलिये प्रार्थी अपीलाण्ट की बिल्कुल झूंठी शिकायत की है। मौके पर हल्का पटवारी ने अपीलाण्ट के बिना मौका रिपोर्ट बनाई है जो बिल्कुल गलत व निराधार है। आज भी मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है। माननीय न्यायालय हल्का पटवारी से वर्तमान रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। इन तमाम बातों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा फैसला किया है। अपीलाण्ट को अब दिनांक 02.11.2020 को जब गिरफ्तारी वारंट गया तब मालूम चला कि हमारे खिलाफ वारण्ट है तो प्रार्थी अपीलाण्ट ने जानकारी की और बिना देरी किये दिनांक 02.11.2020 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 04.11.2020 को जारी की गई। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ बिना देरी किये माननीय न्यायालय में अपील पेश की है जिसकी देरी को कण्डौन किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

(5)

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि ग्राम गोपालपुरसायं के आराजी खसरा नं. 168/1 रकबा 56 बीघा किस्म चारागाह में से रकबा 0–05 बीघा श्री राधे पुत्र लौहरे जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरसायं द्वारा फसल काश्त बाजरा बोकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का गुनेसरा द्वारा पेश की गई, अतिक्रमण की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त गुनेसरा द्वारा की गई थी। अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसकी नियमानुसार तामील के उपरांत अपीलार्थी अनुपस्थित रहा, जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी हल्का के पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में बयान लिये जाकर अतिक्रमी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी ने खसरा नं. 168/1 में अतिक्रमण किया है जो चारागाह भूमि है। न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई कर आदेश जारी किया है।

तहसीलदार करौली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार करौली ने पत्रांक–रीडर/2021/1420 दिनांक 05.03.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी राधे पुत्र लौहरे के द्वारा रबी फसल संवत् 2077 में फसल सरसों बोई गई थी परंतु स्वयं के द्वारा ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया गया एवं मौके पर से अपना कब्जा हटा लिया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आराजी खसरा नं. 168/1 रकबा 56 बीघा किस्म चारागाह बाके ग्राम गोपालपुरसाय पटवार हल्का गुनेसरा तहसील करौली में से अपीलार्थी द्वारा 0–05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई थी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि की गई थी। तत्पश्चात् अपीलार्थी को जारी नोटिस स्वयं अपीलार्थी पर तामील होने के बावजूद वह सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं आये। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 25.02.2020 की प्रति व फर्द बेदखली रिपोर्ट शामिल की है। इस कारण प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.2020 पारित किया गया था। तहसीलदार करौली की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा रबी फसल संवत् 2077 में फसल सरसों बोई गई थी परंतु स्वयं के द्वारा ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया गया एवं मौके पर से अपना कब्जा हटा लिया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिये अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। यदि अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा, इस आशय का शपथ–पत्र इस निर्णय से 7 दिवस के अंदर न्यायालय नायब तहसीलदार करौली में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो नायब तहसीलदार करौली का उक्त आदेश दिनांक 26.08.2020 अपास्त रहेगा अन्यथा उक्त आदेश दिनांक 26.08.2020 यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली